वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

बिहान

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

राज्य मिशन प्रबंधन इकाई,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर
(छत्तीसगढ़)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय–वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	अनुक्रमणिक	2
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा	3–4
3	प्रतिभागियों का पंजीयन	5
4	प्रार्थना, परिचय, उद्देश्य	6–7
5	स्वयं सहायता समूह का पूंजीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन	8–9
6	चक्रीय निधि : अर्थ, मापदण्ड, श्रेणीकरण, प्रक्रिया	10–11
7	सामुदायिक निवेश निधि : अर्थ, मापदण्ड, प्रक्रिया, राशि	12–13
8	सूक्ष्म ऋण योजना : अर्थ, प्रक्रिया एवं चरण	14–16
9	सूक्ष्म ऋण योजना का मूल्यांकन, सीआईएफ वितरण प्रक्रिया	17–18
10	बैंक ऋण/लिंकेज : अर्थ, राशि (डोज), पात्रता, दस्तावेज, ब्याज अनुदान	19–22
11	आपदा निवारण कोष : आवश्यकता, उद्देश्य, प्रक्रिया	23–25
12	संलग्नक–1 चक्रीय निधि हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	26–27
13	संलग्नक–2 चक्रीय निधि हेतु श्रेणीकरण प्रपत्र	28
14	संलग्नक–3 सूक्ष्म ऋण योजना प्रारूप	29–35
15	संलग्नक–4 बैंक ऋण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	36
	संलग्नक–5 प्रशिक्षण आंकलन पत्रक (फीडबैक फार्म)	37

प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रमांक	समय	विषय वस्तु	प्रशिक्षण पद्धति	रिमार्क
		प्रथम दिवस		
1	09.30 से 10.00	पंजीकरण	प्रारूप	पंजीयन प्रपत्र
2	10.00 से 11.00	प्रार्थना, परिचय, अपेक्षायें एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य जानना	सहभागी	स्टेशनरी
3	11.00 से 12.00	• वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य • वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य • स्व सहायता समूह का पूंजीकरण	• समूह वित्तीय–घडे का चित्र • भाषण पद्धति • सहभागी पद्धति	सामग्री – घडे का चित्र
		12.00 से 12.15 बजे तक अंतराल		
4	12.15 से 01.30	• चक्रीय निधि क्या है? • प्राप्त करने के मापदंड • प्रक्रिया • उपयोगिता • दस्तावेजीकरण	• भाषण • सहभागी पद्धति	चक्रिय निधि प्रपत्र, श्रेणीकरण
		01.30 से 02.30 बजे तक भोजन अवकाश		
5	02.30 से 05.30	• सामुदायिक निवेश निधि क्या है? • सामुदायिक निवेश निधि की राशि • प्राप्त करने के मापदंड • प्रक्रिया	• सहभागी पद्धति • भाषण • बंदर और बिल्ली की कहानी	बंदर और बिल्ली की कहानी
		द्वितीय दिवस		
6	09.30 से 10.30	• पूर्व दिवस का पुर्वावालोकन • सामुदायिक निवेश निधि पर चर्चा व प्रस्तुतिकरण	• प्रतिभागियों द्वारा • सहभागी पद्धति	ड्राइंग शीट, टेप, मार्कर
7	10:30 से 11:30	• सूक्ष्म ऋण योजना : अर्थ, प्रक्रिया, चरण	• सहभागी पद्धति, वीडियो, अभ्यास	वीडियो हेतु व्यवस्था, एमसीपी के प्रारूप
8	11.30 से 01.00	• तैयार किये गये एमसीपी का अप्रेजल कौन करेगा एवं उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया। • ब्याज दर – सदस्य, समूह व ग्राम संगठन स्तर पर • भुगतान – सदस्य से समूह, समूह से ग्राम संगठन	• सहभागी पद्धति • भाषण एवं ग्राफ के माध्यम से	मध्य में चाय अंतराल
		01.00 से 02.00 बजे तक भोजन अवकाश		

9	02.00 से 05.30	• बैंक ऋण (लिंकेज) आवश्यकता एवं महत्व • पात्रता • प्रक्रिया • आवश्यक दस्तावेजीकरण • ब्याज दर • ब्याज अनुदान	• भाषण • गरीब किसान की कहानी • विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं उसे भरने का प्रयास	बैंक ऋण हेतु खाली प्रपत्र
तृतीय दिवस				
10	09.30 से 11.30	• पूर्व दिवस का पुर्वावालोकन • एमसीपी पर चर्चा व प्रस्तुतिकरण	• प्रतिभागियों द्वारा • सहभागी पद्धति	ड्राइंग शीट, टेप, मार्कर
11	11.30 से 12.15	• आपदा निवारण कोष • आवश्यकता एव महत्व • आपदा निवारण कोष का उद्देश्य	• भाषण • उदाहरण	ड्राइंग शीट, टेप, मार्कर
12.15 से 12.30 बजे तक अंतराल				
12	12.30 से 02.00	• आपदा निवारण कोष प्राप्त करने की प्रक्रिया • स्व सहायता समूहों को आपदा निवारण कोष प्राप्त करने हेतु मापदण्ड • आपदा निवारण कोष प्राप्त करने हेतु ग्राम संगठन के मापदण्ड	• भाषण • उदाहरण	ड्राइंग शीट, टेप, मार्कर
02.00 से 03.00 बजे तक भोजन अवकाश				
13	03.00 से 03.30	• आपदा निवारण कोष प्राप्त करने हेतु परिवारों की पात्रता • ब्याज दर	• भाषण	ड्राइंग शीट, टेप, मार्कर
14	03.30 से 05.30	• पुनरावलोकन • फिडबैक • प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन	• भाषण • सहभागी	प्रपत्र

सत्र 1

विषय	:	प्रतिभागियों का पंजीयन ।
उद्देश्य	:	इस सत्र के अंत में प्रतिभागियों की आवश्यक जानकारी संकलित हो जाएगी तथा प्रशिक्षण में उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री का वितरण हो जाएगा।
आवश्यक सामग्री	:	पंजीकरण शीट, नोटपैड, पेन, प्रशिक्षण कार्ययोजना, फोल्डर (यदि हो तो) इत्यादि।
पद्धति	:	सहभागी
अवधि	:	30 मिनट।

प्रतिभागियों का पंजीयन

निर्धारित प्रारूप पर प्रतिभागियों का पंजीकरण कराना चाहिए, जिसमें प्रतिभागियों से संबंधित आधारभूत विवरण का समावेश होना चाहिए। प्रशिक्षणकर्ता के आवश्यकताओं के अनुसार अन्य वांछित जानकारियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया त्वरित तथा 30 मिनट में पूरी हो जाने वाली होनी चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को नोटपैड, पेन, प्रशिक्षण कार्ययोजना, फोल्डर (यदि हो तो) इत्यादि वितरित किया जा सकता है।

तालिका 1.1 : वित्तीय प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण प्रारूप

क.	नाम	पदनाम	संस्था का नाम	स्थान	विकासखण्ड	जिला का नाम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर		
								दिनांक.....	दिनांक.....	दिनांक.....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सत्र 2

विषय	:	प्रार्थना, परिचय एवं अपेक्षायें जानना एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य।
उद्देश्य	:	इस सत्र के माध्यम से प्रतिभागी एक दूसरे को पहचान सकेंगें तथा प्रशिक्षण से अपनी अपेक्षा से अवगत करायेंगे। सभी प्रतिभागी प्रशिक्षण के उद्देश्यों को जान सकेंगे।
आवश्यक सामग्री	:	गेंद, व्हाईट बोर्ड, चार्ट पेपर, टेप, फ्लैश कार्ड एवं मार्कर।
पद्धति	:	गीत, खेल, सहभागी पद्धति एवं भाषण।
अवधि	:	01 घण्टा।

पद्धति – गीत

प्रार्थना – प्रतिभागियों में से कुछ सदस्य सामने आकर सभी प्रतिभागियों को खड़े होने हेतु निवेदन करेंगें। सभी प्रतिभागियों के खड़े हो जाने के बाद सभी प्रतिभागीयों को प्रार्थना गीत याद होने की स्थिति में एक साथ अथवा सामने खड़े सदस्य प्रार्थना गीत की एक–एक लाईन गायेंगें और सभी प्रतिभागी प्रार्थना गीत की उस लाईन को एक स्वर में दुहरायेंगें।

पद्धति – खेल

परिचय – नवीन पद्वति से परिचय प्रतिभागियों के आपसी परिचय में सहायक ही नहीं होता, अपितु इससे प्रतिभागियों में होने वाली शुरूआती हिचकिचाहट/अंर्तबाधा भी खत्म होती है। किसी खेल के माध्यम से परिचय मुख्यतः शुरूआती झिझक को खत्म कर सहभागियों को एक साथ सहज महसूस कराने में सहयोगी होता है।

खेल – गेंद बढ़ाओ

सभी प्रतिभागियों को एक गोले में खड़ा होने हेतु निवेदन करें। सहजकर्ता एक गेंद को किसी एक प्रतिभागी के पास अपना नाम पुकार कर पास करता है। अगला प्रतिभागी अपना नाम बताते हुए गेंद किससे मिला और किसे पास करना है उस प्रतिभागी का नाम पुकार कर गेंद पास करता है (उदाहरण – मेरा नाम सुनिता है, मुझे सरिता से यह गेंद मिली है और मैं इसे नेहा को दे रही हूँ)। यह प्रक्रिया गोले में खड़े सभी प्रतिभागी के परिचय होने तक चलती है। सभी के परिचय हो जाने पर सभी प्रतिभागियों को गोले में अपनी जगह बदल कर यही प्रक्रिया पुनः एक या दो बार दुहराने को कहें।

पद्धति - सहभागी

प्रतिभागियों की अपेक्षाऐं – इस अभ्यास के लिए फ्लैश कार्ड की आवश्यकता होती है। प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से अपेक्षाओं को जानने के लिए उन्हें फ्लैश कार्ड एवं मार्कर देकर अपनी अपेक्षाओं को उस पर लिखने के लिए अनुरोध करें। इस कार्य के लिए 5 मिनट का समय देना चाहिए। निरक्षर प्रतिभागियों हेतु प्रतिभागी अथवा प्रशिक्षक की मदद से फ्लैश कार्ड लिखें जाऐं। सभी प्रतिभागियों के फ्लैश कार्ड लिखे जाने के बाद एकत्र कर उन्हें समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर श्रेणीबद्ध करते हुए दीवार/व्हाईट बोर्ड पर चिपकाऐं। प्रशिक्षक द्वारा सभी प्रतिभागियों से प्राप्त अपेक्षाओं को सहभागी पद्धति से चर्चा करते हुए अपेक्षाओं की प्रकृति के आधार पर विभाजित करते हुए चार्ट पेपर पर सूचीबद्ध कर प्रशिक्षण कक्ष के दीवार

पर चिपका दिया जाए। इससे प्रतिभागी सीखने की जरूरत को स्पष्ट तौर पर समझ जाऐंगें और प्रशिक्षक को सामूहिक तौर पर प्रशिक्षण के उद्देश्य को सुस्पष्ट करने में मदद मिलेगी। इससे कुछ ऐसी अपेक्षाओं के सामने आने की भी सम्भावना जो सीधे तौर पर प्रशिक्षण से संबंधित नहीं होंगी। यहॉ प्रशिक्षक को सावधानीपूर्वक इन अपेक्षाओं को अप्रासंगिक मानकर हटाने के बजाए उन्हे प्रशिक्षण की परिधि से बाहर अलग से सूचीबद्ध कर लेना चाहिए।

प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षक को अपेक्षाओं की सूचि को देखना चाहिए और यह विश्लेषण करना चाहिए कि किस हद तक सहभागियों की अपेक्षाएं पूरी हो पायी हैं।

पद्धति - सहभागी

प्रशिक्षण के उद्देश्य – एक बार जब प्रतिभागियों की अपेक्षायें तय हो जाये तब प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के उद्देश्य की तरफ जाना चाहिए। प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के निर्धारित उद्देश्य और प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को समानांतर रूप से पूरा करने के लिए अपने व्यख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करना चाहिए। इस तरह का समानान्तर विश्लेषण प्रतिभागियों की प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर स्पष्टता में सहायक होगा। यह प्रतिभागियों की प्रशिक्षण के उद्देश्यों के प्रति स्वीकार्यता बढ़ाने में सहायक होगा। प्रशिक्षक यहॉ वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य को सहभागी चर्चा से बिन्दुवार स्पष्ट करें। एक बार जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाएं तो उन्हे चार्ट पेपर पर साफ–साफ लिख कर प्रशिक्षण हॉल की दीवार पर चिपका दें। प्रशिक्षण के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हो सकते हैं :–

- वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जानना।
- वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न स्त्रोंतों तथा स्वयं सहायता समूह के पूंजीकरण के बारे में जानना।
- स्वयं सहायता समूह के चक्रीयनिधि, पात्रता, प्राप्त करने की प्रकिया के बारे में जानना।
- सामुदायिक निवेश निधि, पात्रता एवं उपलब्ध करने की प्रकिया, ब्याज दर आदि के बारे में समझ विकसित करना।
- बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों के ऋण के प्रावधान, प्रकिया एवं उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

सत्र 3

विषय	:	स्वयं सहायता समूह का पूंजीकरण एवं कोष प्रबंधन।
उद्देश्य	:	इस सत्र के अंत में प्रतिभागी स्व सहायता समूह के पूंजीकरण के बारे में तथा क्रेडिट लिंकेज के स्त्रोतों के बारे में जान सकेंगें।
आवश्यक सामग्री	:	घड़े का चित्र।
पद्धति	:	सहभागी, चित्र, भाषण।
अवधि	:	1 घण्टा।

पद्धति - चित्र/सहभागी

अभ्यास

उपरोक्त चित्र को प्रतिभागियों को दिखा कर प्रशिक्षक को प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहिए :–

1. इन तीनों चित्र को देख कर आप क्या समझते हैं ?
2. इन तीनों चित्रों में क्या अंतर है ?
3. यदि इन तीनों चित्रों को स्वयं सहायता समूह के परिपेक्ष में देखा जाए तो इससे क्या समझा जा सकता है ?

प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट करना चाहिए :–

1. प्रथम चित्र से यह समझा जा सकता है कि यदि स्वयं सहायता समूह में आय कम और व्यय ज्यादा हो तो पहले घड़े की तरह ही धीरे–धीरे खाली हो जाएगा।
2. दूसरे चित्र से यह समझा जा सकता है कि यदि कोई स्वयं सहायता समूह केवल बचत करता है और उसमें आंतरिक लेनेदेन की गतिविधि नहीं होती है तो सिर्फ बचत ही आय का मुख्य स्त्रोत होने की वजह से समूह के कार्पस में भी बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है। ऐसे समूह के सदस्यों को समूह का उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।
3. तीसरे चित्र से यह समझा जा सकता है कि यदि स्वयं सहायता समूह में विभिन्न माध्यमों से आय हो अथवा पूंजी प्राप्त हो तथा आंतरिक लेनेदेन की गतिविधि भी उसी प्रकार होते रहे तो समूह के सदस्यों को उचित मात्रा में पूंजी प्राप्त होता है और समूह से उचित लाभ प्राप्त होता है।
4. स्वयं सहायता समूहों को किन किन विभिन्न माध्यम से पूंजी प्राप्त हो सकता है इसका विवरण हम इस प्रशिक्षण में प्राप्त करेंगें। जिससे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा पूंजी प्राप्त हो सके और वह अपने आजीविका संवर्धन हेतु इसका उपयोग कर गरीबी से बाहर आ सकें।

पद्धति - भाषण

वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य :–

स्व सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य, स्व सहायता समूहों के पूंजीकरण (Capitalization) हेतु विभिन्न स्त्रोतों से कोष की उपलब्धता एवं उनका समुचित उपयोग कराने से है।

वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य :–

वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य स्व सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की जानकारी देना एवं उनके समुचित उपयोग के लिए प्रेरित करना हैं।

स्वयं सहायता समूहों का पूंजीकरण :–

स्वयं सहायता समूहों का पूंजीकरण स्वयं के स्त्रोंतों एवं बैंक ऋण (क्रेडिट लिंकेज) के विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

- समूह की कार्पस राशि – इसके अंर्तगत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बचत, आंतरिक लेन देन से प्राप्त ब्याज, दण्ड, बैंक से प्राप्त ब्याज एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान आदि शामिल होता है।
- चक्रीयनिधि – यह निधि स्वयं सहायता समूह के आंतरिक लेन–देन को बढ़ावा देनें, सदस्यों की छोटी–छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं कार्पस राशि को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्यारह सूत्रों का पालन करने वाले एन.आर.एल.एम. कम्प्लाएंट/अनुपालित स्वयं सहायता समूह को रूपये 10000–15000 रूपये मात्र(विशेष समूहो का निर्धारित प्रावधान अनुसार) अनुदान के रूप में प्रदाय किया जाता है। यह राशि समूह के सदस्यों हेतु ऋण के रूप में होता है।
- सामुदायिक निवेश निधि – यह निधि स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन के माध्यम से 60000–75000 रूपये मात्र (एम.सी.पी के अनुसार) ऋण के रूप में प्रदाय किया जाता है।
- बैंक ऋण – यह निधि स्वयं सहायता समूह को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंकों के माध्यम से विभिन्न चरणों में न्यूनतम रूपये 50000/– मात्र या इससे अधिक योग्तानुसार ऋण के रूप में प्रदाय किया जाता है।

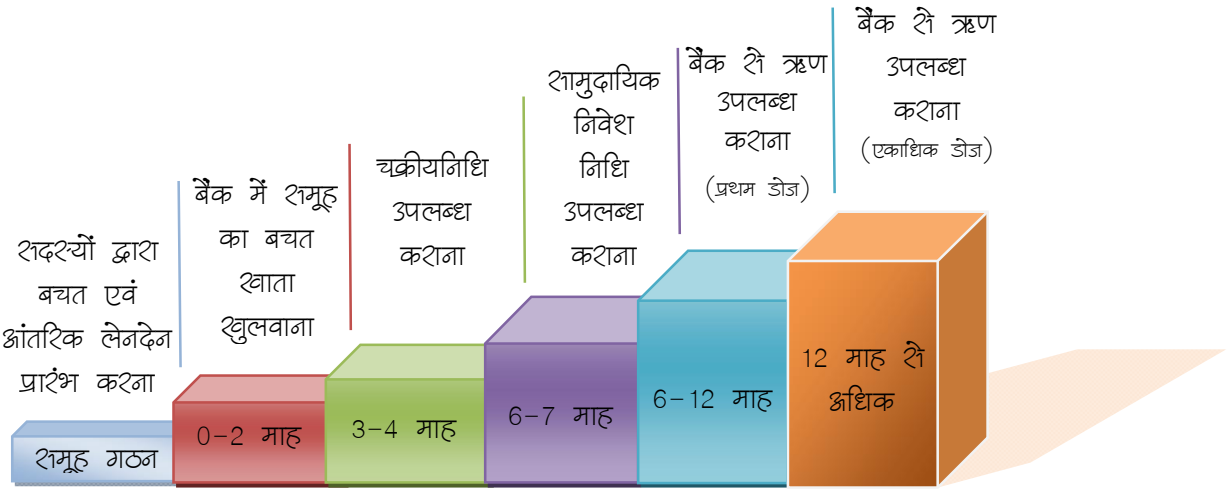

स्वयं सहायता समूह के पूंजीकरण के चरण

सत्र 4

विषय	:	स्वयं सहायता समूह हेतु चक्रीयनिधि (रिवॉल्विंग फण्ड) ।
उद्देश्य	:	इस सत्र के अंत में प्रतिभागी स्व सहायता समूह को प्रदाय किये जाने वाले चक्रीयनिधि, इसकी पात्रता, प्रक्रिया एवं उपयोगिता के बारे में जान सकेंगें।
आवश्यक सामग्री	:	घड़े का चित्र।
पद्धति	:	भाषण, सहभागी, चित्र।
अवधि	:	1 घण्टा 15 मिनट

पद्धति - भाषण

चक्रीय निधि (रिवॉल्विंग फण्ड) क्या है ?–

स्वयं सहायता समूह के बीच आन्तरिक लेनदेन को बढ़ावा देने, समूह के सदस्यों की छोटी–छोटी जरुरतों को पूरा करने, समूह के कार्पस राशि को बढ़ाने एवं समूह के सदस्यों के बीच वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रत्येक पात्र समूह को 10000–15000 रूपये मात्र चक्रीय निधि उपलब्ध कराना है, जो की समूह के कार्पस के रूप में होगा। चक्रीय निधि समूह को अनुदान है परन्तु यह सदस्यों को अनुदान नहीं है सदस्यों को चक्रीय निधि देते समय समूह के द्वारा एक समान ब्याज दर निर्धारित की जायेगी जो सभी सदस्यों से समान रूप ली जावेगी।

चक्रीयनिधि प्रदान करने के मापदंड –

- ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनमें समूह के सभी सदस्य महिलायें होंगी (दिव्यांग एवं अन्य विशेष समूहो को निर्धारित प्रावधान अनुसार चक्रिय निधि की पात्रता होगी)।
- समूह में 10–15 सदस्य होना चाहिए।
- समूह कम से कम 3 माह (12 साप्ताहिक बैठक) पुराना हो एवं समूह द्वारा 3 माह (12 साप्ताहिक बैठक) से ग्यारह सूत्र (नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक लेनदेन, उधार वापसी, पुस्तक संधारण, स्वच्छ समूह, शिक्षित समूह, नशामुक्त समूह, स्वस्थ समूह, सुपोषित समूह एवं ग्राम सभा में सहभागिता) का पालन किया जा रहा हो।
- समूह का बैंक में बचत खाता खुला हो।
- समूह को पूर्व में चक्रीयनिधि नहीं मिला हो।
- समूह के सभी सदस्यों द्वारा बेसिक माड्यूल पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका हो।
- स्व सहायता समूह का श्रेणीकरण किया गया हो तथा श्रेणीकरण में समूह द्वारा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त हो। श्रेणीकरण निर्धारित मानदंड के आधार पर किया जावेगा जिसका प्रारूप संलग्नक–2 में संलग्न है।
- समूह को ऋण वितरण में आपदाग्रसित (वल्नेरेबल) सदस्यों को प्राथमिकता होगी।
- LWE/IAP जिलों में सभी प्रकार के समूहों को चक्रीयनिधि की पात्रता रहेगी।

समूहों के श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) का आधार क्या होगा ? –

चक्रीय निधि देने से पूर्व प्रत्येक समूह का निम्न पंचसुत्र पर ग्रेडिंग किया जायेगा –

- स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नियमित रूप से समूह की साप्ताहिक बैठक करती हों ।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नियमित रूप से बचत करती हों।
- समूह सदस्यो द्वारा नियमित लेन–देन किया जा रहा हो ।
- समूह से ऋण लेने वाली महिलाएं समय से ऋण ब्याज सहित वापस करती हों।

- नियमित रूप से बैठक में ही समूह का अभिलेख लिखती हों एवं अभिलेखों का रख रखाव ठीक ढंग से किया जा रहा हो।

समूहों की श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) कौन करेगा ? –

- जहाँ पर ग्राम संगठन बना है और स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन में शामिल हैं वहां समूहों की श्रेणीकरण की जिम्मेदारी ग्राम संगठन की होगी।
- यदि ग्राम में ग्राम संगठन बना नहीं है या स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन में शामिल नहीं हैं वहां पर समूहों की ग्रेडिंग का कार्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टाफ (सहायक विकास विस्तार अधिकारी/क्षेत्रीय समन्वयक) अथवा पी.आर.पी. के द्वारा किया जावेगा।

चक्रीय निधि वितरण करने की प्रक्रिया –

चक्रीय निधि हेतु समूह के आवेदन एवं श्रेणीकरण पूर्ण हो जाने के बाद निम्न प्रक्रिया द्वारा चक्रीय निधि की राशि जारी की जावेगी –

- स्त्रोत विकासखण्ड में चक्रीय निधि विकासखण्ड मिशन प्रबंधन इकाई (BMMU) की अनुशंसा पर जनपद द्वारा जारी की जावेगी।
- सघन विकासखण्डों में तैयार प्रकरणों की एम.आई.एस इन्ट्री एवं जिला कार्यालय से अनुमोदन के पश्चात चक्रिय निधि जनपद पंचायत द्वारा जारी की जावेगी ।
- गैर सघन विकासखंडों में चक्रीय निधि सहायक विकास विस्तार अधिकारी/क्षेत्रीय समन्वयक की अनुशंसा पर जनपद पंचायत द्वारा जारी की जावेगी।
- चक्रीय निधि की राशि 10000–15000 रूपये मात्र समूह के बैंक बचत खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से जारी की जावेगी।

चक्रीय निधि की राशि की उपयोगिता की जांच –

स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि जारी किये जाने के 30 दिवस के अंदर इस निधि की उपयोगिता की जांच किया जाना चाहिए। चक्रीय निधि उपयोगिता की जांच करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए –

- समूह के द्वारा चक्रीय निधि का वितरण सदस्यों के बीच में किया गया है अथवा चक्रीय निधि की राशि समूह के बचत खाते में ही रखी हुई है।
- समूह में ऋण वितरण के दौरान आपदाग्रसित (वल्नेरेबल) सदस्यों को प्राथमिकता दी गयी है अथवा नही।
- समूह के द्वारा ग्यारह सूत्र का पालन किया जा रहा है तथा बैंठकों में सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक हो एवं आंतरिक उधार कुल बचत का 1 से 2 गुना तथा वसूली शत् प्रतिशत होना चाहिए।

समूह द्वारा चक्रीय निधि (रिवॉल्विंग फण्ड) प्राप्त करने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दिया जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप (संलग्नक–1)

स्वयं सहायता समूह को चक्रीय निधि (रिवॉल्विंग फण्ड) देने हेतु ग्रेडिंग प्रपत्र (संलग्नक–2)

सत्र 5

विषय	:	सामुदायिक निवेश निधि (कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड) ।
उद्देश्य	:	इस सत्र के अंत में प्रतिभागी सामुदायिक निवेश निधि, इसकी पात्रता, प्रक्रिया उपयोगिता के बारे में जान सकेंगें।
आवश्यक सामग्री	:	चार्ट पेपर, टेप, मार्कर एम.सी.पी. प्रारूप।
पद्धति	:	भाषण, सहभागी चर्चा, कहानी, अभ्यास।
अवधि	:	3 घण्टा।

पद्धति - भाषण

सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) क्या है ? –

स्वयं सहायता समूहों को सी.आई.एफ. की राशि समूह के सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे समूह के सदस्य अपने उपभोग, उत्पादन/जीविकोपार्जन एवं संपत्ति निर्माण की जरुरत को पूरा करने हेतु उपयोग करेंगे। सी.आई.एफ. समूह में वित्तीय अनुशासन विकसित करने एवं मुख्य धारा के वित्तीय संस्थाओं से जुड़ाव में मदद करता है। सी.आई.एफ. की राशि स्वयं सहायता समूहों को सिर्फ स्त्रोत एवं सघन विकास खंडो में उपलब्ध करायी जायेगी। गावों में समूह निर्माण किया जायेगा एवं जहाँ ग्राम संगठन/प्राथमिक स्तर का फेडरेशन का गठन होगा। सी.आई.एफ. की राशि समूह को ग्राम संगठन द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। सी.आई.एफ. की राशि संकुल स्तरीय संगठन (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) पर कार्पस के रूप में रहेगी, जो की आवश्यकतानुसार संकुल स्तरीय संगठन से ग्राम संगठन, ग्राम संगठन से समूह एवं समूह से सदस्यों तक पहुँचाई जायेगी।

सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) की राशि –

ऐसे समूह जो सी.आई.एफ. प्राप्त करने के मापदंड को पूरा करेंगे एवं अपने समूह का सूक्ष्म ऋण योजना (माइक्रो क्रेडिट प्लान) तैयार करेंगे, उन्हें प्रति समूह 60,000–75,000 रूपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी, जो समूह को ऋण के रूप में दी जायेगी।

सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) प्राप्त करने के मापदंड –

- स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य गरीब एवं समान अर्थिक स्तर वाले हों।
- स्वयं सहायता समूह की उम्र 6 माह या उससे अधिक हो।
- समूह का बैंक में अपने नाम से बचत खाता हो एवं उसमें लगातार लेन देन हो रहा हो।
- स्वयं सहायता समूह कम से कम 6 माह से ग्यारह सूत्र का पालन कर रहा हो।
- स्वयं सहायता समूह के पुस्तकों का संधारण प्रशिक्षित पुस्तक संचालक द्वारा किया जा रहा हो।
- समूह द्वारा बचत की राशि एवं चक्रीय निधि (रिवॉल्विंग फण्ड) की राशि का उपयोग आन्तरिक लेनदेन के रूप में पिछले 6 माह से सदस्यों के बीच में उनकी जरुरत पूरा करने में उपयोग किया जा रहा हो।
- समूह में ऋण वसूली का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक हो।
- समूह के सदस्यों को समूह प्रबंधन एवं सूक्ष्म ऋण योजना (माइक्रो क्रेडिट प्लान) पर प्रशिक्षण दिया गया हो।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना तैयार किया गया हो।

सी.आई.एफ. प्राप्त करने की प्रक्रिया –

- समूह को 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर सूक्ष्म ऋण योजना पर प्रशिक्षण करवाना।
- समूह को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के बाद सूक्ष्म ऋण योजना प्रक्रिया की शुरुआत करनी चाहिए।

- प्रक्रिया के अनुसार समूह का सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करना।
- सूक्ष्म ऋण योजना समूह के प्रस्ताव के साथ ग्राम संगठन या ग्राम संगठन के गठन न होने की स्थिति में जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना।
- समूह द्वारा तैयार माइक्रो प्लान का एप्रेजल करना।
- एप्रेजल पश्चात् पात्र समूहों को सी.आई.एफ. की राशि उनके बचत खातों में चेक अथवा RTGS/NEFT के माध्यम से जारी करना।

सत्र 6

विषय	:	सूक्ष्म ऋण योजना (माईक्रो केडिट प्लान)।
उद्देश्य	:	इस सत्र के अंत में प्रतिभागी सुक्ष्म ऋण योजना एवं इसके चरण के बारे में जान सकेंगें।
आवश्यक सामग्री	:	एम.सी.पी. का विडियों, विडियों प्रदर्शन हेतु आवश्यक उपकरण, एम.सी.पी. प्रारूप।
पद्धति	:	विडियो शो, भाषण, सहभागी, कहानी, अभ्यास।
अवधि	:	3 घण्टा।

पद्धति - विडीयो शो/सहभागी

विडियो शो

प्रशिक्षक द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना हेतु निर्मित विडियो का प्रदर्शन किया जावे। प्रदर्शन पश्चात् निम्न प्रश्न किये जावें।

1. इस विडियों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं क्या कर रही थीं।
2. सुक्ष्म ऋण योजना (एम.सी.पी.) का निर्माण किसके द्वारा किया गया।
3. सुक्ष्म ऋण योजना में कौन कौन सी जानकारी संकलित की गयी।
4. सुक्ष्म ऋण योजना किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया।
5. सुक्ष्म ऋण योजना से स्वयं सहायता समूह को क्या लाभ प्राप्त हुआ।

सुक्ष्म ऋण योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त हुआ जिसका विवरण हम इस प्रशिक्षण सत्र में जान सकेंगें।

सूक्ष्म ऋण योजना (माइक्रो केडिट प्लान) तैयार करने की प्रक्रिया –

- सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने के पूर्व की प्रक्रिया।
  - समूह का सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने हेतु यह देखना होगा कि दिए गए मापदंडो को समूह पूर्ण कर रहा है कि नहीं।
  - सूक्ष्म ऋण योजना प्रक्रिया में समूह के सभी सदस्य भागीदारी करें।
  - सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने के पूर्व बैठक के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करना, जहाँ समूह के सभी सदस्य भागीदारी कर सके।
- सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने के दौरान की प्रक्रिया – सूक्ष्म ऋण योजना प्रक्रिया शुरू होने के 2–3 दिनों के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी अर्थात सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने में 2–3 दिनों का समय लगेगा।
  - समूह के सभी सदस्यों की उपस्थिति में सूक्ष्म ऋण योजना के उद्देश्य के बारे में चर्चा करना।
  - समूह के सदस्यों द्वारा सभी सदस्यों के परिवार के प्रोफाइल के बारे में चर्चा करना (जैसे परिवार के सदस्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, क्रियाकलाप, उपलब्ध स्त्रोत, संपत्ति, दायित्व/जिम्मेदारियाँ, सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारियाँ, कर्ज के बारे में जानकारियाँ, खाद्य सुरक्षा के मुददे, इत्यादि)
  - समूह के सदस्यों द्वारा सदस्यों के प्रोफाइल तैयार करने पर चर्चा।
  - समूह के सभी सदस्यों द्वारा भविष्य की योजना के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करना।
  - समूह के सभी सदस्यों द्वारा अपने परिवार की योजना (वर्तमान की योजना एवं भविष्य की योजना) परिवार के सभी सदस्यों से चर्चा के उपरांत तैयार करना।
  - समूह के सभी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक भविष्य की योजना को समूह में चर्चा करना।
  - समूह के सभी सदस्यों द्वारा अपने–अपने योजना का प्राथमिकीकरण करना।

- समूह के सभी सदस्यों द्वारा अपनी–अपनी योजना को तैयार करने हेतु मूल्यांकन करना (वित्तीय जरुरत, तकनीक जरुरत, कन्वर्जेन्स की जरुरत)।
- सभी सदस्यों की व्यक्तिगत योजना को समूह स्तर पर प्राथमिकीकरण करना।
- समूह के सदस्यों द्वारा समूह की जरूरतों को पूरा करने हेतु उपलब्ध स्त्रोतों के बारे में चर्चा करना।
- सूक्ष्म ऋण योजना प्रक्रिया करवाने वाले व्यक्ति द्वारा समूह के सभी सदस्यों एवं समूह के रूप में सम्पूर्ण एवं विस्तृत चर्चा हो जाने के बाद सभी जानकारियों को सूक्ष्म ऋण योजना प्रारूप पर लिखना एवं भरना।
- समूह द्वारा तैयार सूक्ष्म ऋण योजना को समूह द्वारा मूल्यांकन करने हेतु ग्राम संगठन/लूज फेडरेशन/ऋण समिति के पक्ष में आवेदन करना।

सूक्ष्म ऋण योजना (माइक्रो क्रेडिट प्लान) के चरण –

सूक्ष्म ऋण योजना स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अपनी जरूरतों की पहचान करने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना तैयार करने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जिसमें समूह के सभी सदस्य एवं सदस्य के परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते है।

सूक्ष्म ऋण योजना (माइक्रो क्रेडिट प्लान) के चरण

चरण 1– स्वयं सहायता समूह का विवरण–

- समूह का नाम, समूह का पता, समूह में वर्गवार सदस्यों की संख्या।
- बैंक बचत खाता एवं विवरण, समूह का वित्तीय विवरण।
- सामाजिक कार्य, जीविकोपार्जन सम्बंधित किये गए कार्य।
- समूह द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण आदि।

चरण 2– स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बारे में जानकारी –

- समूह के सदस्यों के परिवार का विवरण एवं उनके व्यवसाय।
- सदस्यों की संपत्ति का विवरण जैसे, जमीन, मवेशी, मकान आदि।
- सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति जैसे, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड आदि।
- समूह के सदस्यों के परिवार की दिव्यांग (Vulanerble) आदि।

चरण 3– स्वयं सहायता समूह के सदस्य के परिवार का आय एवं व्यय का विवरण–

- परिवार स्तर पर आय एवं व्यय के स्रोत।
- परिवार के दायित्व– कर्ज आदि।
- समूह के सदस्यों के परिवार का जीविकोपार्जन संबंधी विवरण।

चरण 4– समूह सदस्यों की ऋण/निवेश योजना –

- ऋण का उद्देश्य, आवश्यकतापूर्ति हेतु ऋण की राशि की जरुरत।
- सदस्य द्वारा अंशदान, स्वयं सहायता समूह से अपेक्षित राशि।
- परिवार की मासिक आमदनी।
- ऋण वापसी योजना।
- सदस्य का समूह में प्रदर्शन (बचत, ऋण की वापसी, उपस्थित, आदि)

चरण 5– प्राथमकीकरण अनुसार प्रथम क्रम में ऋण लेने वाले सदस्यों का विवरण

- समूह द्वारा समूह की अत्यंत गरीब सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- आपातकालीन/अत्यधिक जरुरत को प्राथमिकता दी जायेगी जैसे – स्वास्थ्य सम्बंधित जरुरत, शिक्षा सम्बंधित जरुरत, आदि।
- समूह में सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी तत्पश्चात् समूह के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

चरण 6– प्राथमिकीकरण अनुसार द्वितीय क्रम में ऋण लेने वाले सदस्यों का विवरण

- प्रथम क्रम में ऋण प्राप्त सदस्यों द्वारा ऋण वापसी पर उपलब्ध राशि को द्वितीय क्रम वाले सदस्यों को प्रदाय किया जाता है।

चरण 7– करारनामा

- सदस्य एवं स्व सहायता समूह के बीच करारनामा
- स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन के बीच करारनामा
- ग्राम संगठन और क्लस्टर संगठन के बीच करारनामा

पद्धति – कहानी

कहानी

एक बार दो बिल्लियों ने रोटी का एक टुकड़ा चुरा लिया, लेकिन वे यह नहीं जानती थी कि इसका बंटवारा कैसे किया जाए। जब वे आपस में झगड़ रही थी, तब एक बंदर ने बीच–बचाव करने का प्रस्ताव रखा। वह एक तराजू लेकर आया और रोटी के टुकड़े को दो हिस्सों में बांट कर तराजू के अलग–अलग पलड़ों पर रख दिया। एक हिस्सा बड़ा था। बंदर ने माप को बराबर करने के लिए बड़े हिस्से से एक छोटा सा हिस्सा निकाला और उसे खा गया। लेकिन अब दूसरा हिस्सा भारी था। फिर बंदर ने भारी वाले हिस्से से एक छोटा सा हिस्सा निकाला और उसे खा गया। यह सब तब तक चलता रहा जब तक बंदर ने सारा रोटी का टुकड़ा नहीं खा लिया। अंत में बिल्लियों के लिए कुछ नहीं बचा और वे बंदर को देखती रह गईं।

संदेश :– इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में हमें विवाद की स्थिति नहीं बनानी चाहिए एवं निर्णय की प्रक्रिया में जहॉ तक संभव हो बाहरी व्यक्ति को शामिल करने से बचना चाहिए।

प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एम.सी.पी. के निर्माण के समय सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर निर्णय करना चाहिए। निर्णय के दौरान किसी भी विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। यथा संभव प्रयास यह किया जाना चाहिए कि निर्णय/योजना निमार्ण की प्रक्रिया में समूह से बाहर का, अपरिचित अथवा अविश्वासी व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाहरी व्यक्ति द्वारा स्वयं को लाभ पंहुचाने के प्रयास किया जा सकता है।

पद्धति – अभ्यास

अभ्यास

सत्र के अंत में प्रशिक्षक द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझाकर सभी प्रतिभागियों को कुछ छोटे–छोट उपसमूहों में विभाजित कर देना चाहिए। इन छोटे उपसमूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के प्रारूप देकर अगले दिन अपने उपसमूह के लिए सूक्ष्म ऋण योजना तैयार कर प्रस्तुतीकरण करने हेतु कहा जाए।

सूक्ष्म ऋण योजना (माइक्रो केडिट प्लान) का प्रारूप – (संलग्नक–3)

सत्र 7

विषय	:	एमसीपी मूल्यांकन (एप्रेजल), सीआईएफ प्राप्त करने की प्रकिया एवं ब्याजदर
उद्देश्य	:	इस सत्र के अंत में प्रतिभागी एमसीपी एप्रेजल, सीआईएफ प्राप्त करने की प्रकिया एवं समूह तथा फेडरेशन स्तर पर ब्याज दर के बारे में जान सकेंगे।
आवश्यक सामग्री	:	व्हाईट बोर्ड/चार्ट पेपर, मार्कर
पद्धति	:	प्रस्तुतिकरण, सहभागी।
अवधि	:	1 घण्टा 30 मिनट।

पद्धति - भाषण

सूक्ष्म ऋण योजना का मूल्यांकन (एप्रेजल) एवं समूह को सी.आई.एफ. राशि प्रदान करना –

- सूक्ष्म ऋण योजना का मूल्यांकन जहाँ ग्राम सगंठन का गठन नहीं हुआ है या ऐसे समूह जो ग्राम सगंठन से नहीं जुड़े है :–
    - इस स्थिति में ग्राम स्तर पर सभी समूह द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म ऋण योजना को एस.आर.एल.एम. द्वारा गठित एप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।
    - समूह द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म ऋण योजना का एप्रेजल समिति के सभी सदस्यों की उपस्थित में उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
    - समिति प्रत्येक 15 दिनों में मूल्यांकन हेतु बैठक करेंगी एवं सुनिश्चित करेंगी कि समूह द्वारा प्रस्तुत/जमा किये गए सूक्ष्म ऋण योजना का मूल्यांकन एवं प्रत्येक 15 दिनों में किया जाये।
    - सूक्ष्म ऋण योजना के मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सम्बंधित समूह जिसकी सूक्ष्म ऋण योजना मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत की गई है, उसके प्रतिनिधि मूल्यांकन के दौरान उपस्थित रहे।
    - समूह की सूक्ष्म ऋण योजना का मूल्यांकन होने के बाद एप्रेजल समिति द्वारा विकासखण्ड मिशन प्रबंधन इकाई को सम्बंधित समूह को सी.आई.एफ. की राशि प्रदान करने हेतु अनुमोदन भेज दिया जायेगा ।
    - अनुमोदित प्रस्ताव की एम.आई.एस इन्ट्री एवं जिला कार्यालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात जनपद कार्यालय द्वारा राशि का वितरण किया जावेगा।
    - एप्रेजल समिति द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन के आधार पर बी.एम.एम.यू. द्वारा सी.आई.एफ. की राशि को सीधे सम्बंधित समूह के बचत खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जायेंगी।
- सूक्ष्म ऋण योजना का मूल्यांकन जहाँ ग्राम संगठन का गठन हो चुका है या ऐसे समूह जो ग्राम संगठन से जुड़े है :–
    - इस स्थित में समूह द्वारा तैयार सूक्ष्म ऋण योजना को मूल्यांकन हेतु ग्राम संगठन के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।
    - समूह द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म ऋण योजना का मूल्यांकन ग्राम संगठन द्वारा (मिशन के स्टाफ के सहयोग से) उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा–
    - सूक्ष्म ऋण योजना के मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सम्बंधित समूह, जिसका सूक्ष्म ऋण योजना मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रतिनिधि मूल्यांकन के दौरान उपस्थित रहें।
    - ग्राम संगठन को समूह द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म ऋण योजना का मूल्यांकन 7 दिनों के अन्दर पूर्ण करना चाहिए। सी.आई.एफ. की राशि ग्राम संगठन में न होने की स्थिति में बी.एम.एम.यू./क्लस्टर संगठन को आवेदन भेजना चाहिए।
    - विकासखण्ड मिशन प्रबंधन इकाई/क्लस्टर संगठन से ग्राम संगठन को सी.आई.एफ. की राशि प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से सी.आई.एफ. की राशि समूह के बचत खाता में हस्तांतरित कर दी जायेंगी।

- सूक्ष्म ऋण योजना मूल्यांकन करने के आधार बिंदु :–
    - समूह द्वारा दिए गए प्रारूप पर सभी सूचनायें सही उपलब्ध कराई हो।
    - सूक्ष्म ऋण योजना की प्रक्रिया में समूह के सभी सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए।
    - समूह के अधिक गरीब सदस्यों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई हो।
    - समूह के सभी सदस्यों को अपने निवेश योजना (इन्वेस्टमेंट प्लान) की पूर्ण जानकारी एवं लागू करने की क्षमता/योग्यता हो।
    - समूह के सदस्यों द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना में किये जाने वाले क्रियाकलाप में योगदान होना चाहिए।
    - उपरोक्त मापदंड के आधार पर एप्रेजल समिति/ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म ऋण योजना को विकासखण्ड मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा समूह/ग्राम संगठन को सी.आई.एफ. की राशि निर्गत करनी चाहिए।

सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) निर्गत होने के बाद की प्रक्रिया एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र–

- यदि समूह ग्राम संगठन से नहीं जुड़ा है या ग्राम संगठन नहीं बना है, उस स्थित में मूल्यांकन समिति सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर निरीक्षण करेगी कि, सी.आई.एफ. की राशि का उपयोग हो रहा है अथवा नही। एवं सी.आई.एफ. की राशि का उपयोग होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र को विकासखण्ड प्रबंधन ईकाई में जमा करेंगी।
- यदि समूह ग्राम संगठन से जुड़ा है या ग्राम संगठन बना है, उस स्थिति में ग्राम संगठन स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूह निरीक्षण उप–समिति उक्त समूह का निरीक्षण करेगी कि सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर सी.आई.एफ. की राशि का उपयोग हो रहा है या नहीं। सी.आई.एफ.की राशि का उपयोग होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र को विकासखंड प्रबंधन ईकाई में जमा करेंगी।

सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) की राशि का वापसी नियोजन एवं ब्याज दर –

सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) संकुल स्तरीय संगठन को कार्पस के रूप में दी जायेगी, जो की संकुल स्तरीय संगठन से ग्राम संगठन, ग्राम संगठन से समूह एवं समूह से सदस्यों तक ऋण के रूप में जायेंगी। सी.आई.एफ.की राशि का वापसी नियोजन एवं ब्याज दर का प्रवाह निम्न होगा–

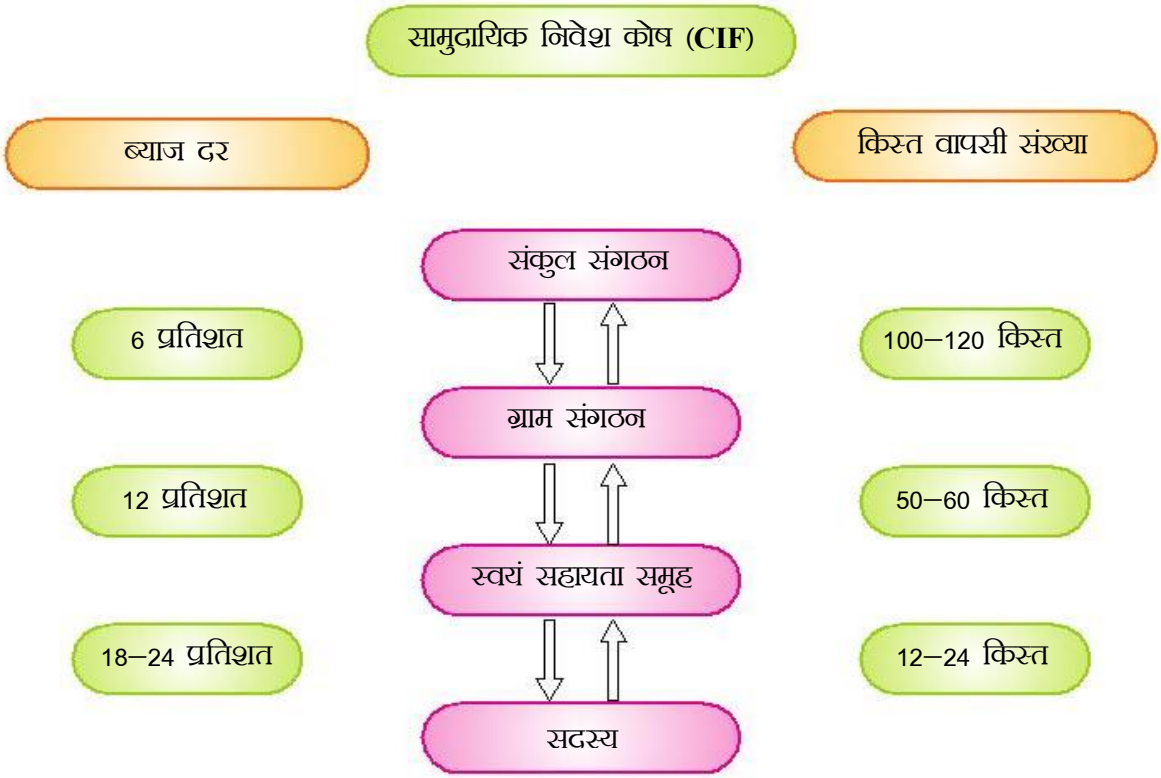

सत्र 8

विषय	:	बैंक ऋण (बैंक लिंकेज) एवं ब्याज अनुदान ।
उद्देश्य	:	इस सत्र के अंत में प्रतिभागी स्व सहायता समूह को प्रदाय किये जाने वाले बैंक ऋण (बैंक लिंकेज) पात्रता, प्रकिया एवं उपयोगिता के बारे में जान सकेंगें।
आवश्यक सामग्री	:	व्हाईट बोर्ड, चार्ट पेपर, मार्कर
पद्धति	:	भाषण, सहभागी, कहानी।
अवधि	:	3 घण्टा।

पद्धति - कहानी/सहभागी

कहानी

एक गांव मे राम, श्याम एवं मोहन नाम के तीन गरीब व्यक्ति रहते थे। एक बार उस ग्राम में रहने वाला वृद्ध साधु 6 माह हेतु तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। यात्रा पर जाने से पूर्व अपने पास रखे, तीन गेंहूँ के बोरे तीनो गरीबो को रखने के लिए दे दिए और कहा कि "मैं वापस आकर ले लूंगा"। राम ने गेंहूँ का बोरा घर के एक कोने में सुरक्षित रख दिया। श्याम ने सोचा साधू बाबा शायद नही आयेगें ओर उसने गेंहूँ को खाने मे उपयोग कर लिया। मोहन ने सोचा साधू बाबा 6 माह पश्चात् आयेगे तब तक मैं गेहूँ का उपयोग खेत में बीज के रूप में कर सकता हूँ। और उसने इसका उपयोग अपने खेत में बीज के रूप में कर लिया। इससे उसे फसल के रूप में 20 बोरा गेहूँ प्राप्त हुआ।

उपरोक्त कहानी प्रतिभागियों को सुनाने के बाद प्रशिक्षक को प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहिए :–

1. राम, श्याम और मोहन को साधु ने क्या सुरक्षित रखने के लिए दिया था ?
2. साधू ने गेंहूँ के बोरे देते समय सभी से क्या कहा था ?
3. क्या गेंहूँ के बोरे राम, श्याम और मोहन तीनों के स्वयं की संपत्ति थी ?
4. राम, श्याम और मोहन में से किसने साधु द्वारा दिये गये गेंहूँ का सही उपयोग किया ?

प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट करना चाहिए :–

1. स्वयं सहायता समूह में पूंजी का उपयोग केवल व्यय करने एवं सुरक्षित रखने के बजाए उससे सम्पति अर्जित करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे समूह के कार्पस निधि में वृद्धि हो सके।
2. जिस प्रकार गेहूँ के बोरे मोहन की स्वयं की सम्पति नहीं थी और उसे उस बोरे को साधु को वापस करना था, उसी प्रकार समूह को भी विभिन्न स्त्रोतों से पूंजी प्राप्त हो सकती है।
3. गेंहूँ के बोरे को मोहन को छः माह बाद वापस करना था, उसने उस समय को देखते हुए उसे उचित स्थान पर निवेश किया। उसकी सूझबूझ और मेहनत से उसे 20 बोरे गेंहूँ मिले, उसी प्रकार स्वयं सहायता समूही को किसी भी स्त्रोत से पूंजी उपलब्ध होने पर सम्पति अर्जित किये जाने के लिए पूंजी का निवेश उचित स्थान पर किया जाना चाहिए।
4. स्वयं सहायता समूहों को पूँजी उपलब्धता कराने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं आसान दस्तावेजीकरण के माध्यम से कम ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।

पद्धति - भाषण

स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण उपलब्ध कराना (वित्तीय समावेशन) –

मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों का बैंक से क्रेडिट लिंकेज/बैंक ऋण कराना वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण भाग है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की क्रेडिट की जरुरत को पूरा करने एवं आजीविका गतिविधियों से जोड़ने हेतु सस्ते ब्याज दर एवं पुनर्भुगतान की सुविधाजनक शर्तों पर मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं (बैंक) से एक से अधिक बार (मल्टिपल डोसेस) ऋण उपलब्ध करवाना मिशन की प्राथमिकता है। जो की स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की उपभोग,उत्पादन एवं परिसंपत्ति सम्बंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक समूह को 5–8 साल की अवधि में वित्तीय संस्थाओं (बैंक) से रु. 10 लाख प्रति समूह ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि समूह को एक से अधिक बार (मल्टिपल डोजेज) ऋण लेने पर उपलब्ध होगा, जिससे समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीविका का संवहनीय माध्यम उपलब्ध हो सके।

बैंक ऋण (बैंक क्रेडिट) प्राप्त करने की पात्रता –

- स्वयं सहायता समूह 6 महीने से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो जो कि समूह के लेखांकन पुस्तिका के आधार पर समूह के गठन के दिनांक से होगा ना की समूह के बैंक में खाता खुलने से समय से होगा।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा 11 सूत्र का पालन किया जा रहा हो।
- समूह का बेसिक माडयूल पर प्रशिक्षण हो गया हो।
- स्वयं सहायता समूह ने ग्रेडिंग मापदंड को पास कर लिया हो, ग्रेडिंग सम्बंधित बैंक के अधिकारी द्वारा (क्षेत्रीय अमले के सहयोग से) की जावेगी।
- मिशन के अंतर्गत ऐसे निष्क्रिय समूह जो गत 3 महीनों से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो, उन्हें भी बैंक से क्रेडिट लिंकेज कराया जायेगा।

बैंक ऋण की राशि –

मिशन के अंतर्गत समूह को एक से अधिक बार (मल्टिपल डोसेस) बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे समूह के सदस्यों को आजीविका के संवहनीय माध्यम को शुरू करने एवं जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। समूह को बैंक से बैंक ऋण हेतु विभिन्न चरण (डोसेस) में निम्नानुसार ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है :–

- प्रथम डोज – समूह के वर्तमान कापर्स का 4–8 गनुा या रु. 50000 (पचास हजार) जो भी अधिकतम हो।
- दूसरा डोज – समूह के वर्तमान कार्पस एवं अगले 12 महीने के प्रस्तावित बचत को जोड़कर, प्राप्त कार्पस का 5–10 गुना या रु. 1 लाख जो भी अधिकतम हो।
- तीसरा डोज – कम से कम रु. 2 लाख, जो कि समूह द्वारा तैयार सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर होगा एवं जो समूह के फेडरेशन/सहयोगी संस्था द्वारा मूल्यांकन किया गया हो तथा समूह के पूर्व ऋण इतिहास के आधार पर।
- चतुर्थ डोज – चतुर्थ डोस की ऋण की राशि 5–10 लाख के बीच होगी/पूर्व ऋण की राशि से ज्यादा होगी। ऋण की राशि समूह द्वारा तैयार सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर होगी।

समूह की ग्रेडिंग एवं सूक्ष्म ऋण योजना –

- स्वयं सहायता समूह के प्रथम क्रेडिट लिंकेज के दौरान प्रस्तुत ग्रेडिंग प्रपत्र संलग्नक – 1 का उपयोग किया जायेगा।
- स्वयं सहायता समूह के दूसरे, तीसरे एवं चतुर्थ डोज बैंक ऋण (क्रेडिट लिंकेज) के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत ग्रेडिंग प्रपत्र संलग्नक – 2 का उपयोग किया जायेगा।
- स्वयं सहायता समूह के प्रथम एवं दूसरे डोज क्रेडिट लिंकेज के दौरान समूह द्वारा बैंक में किसी भी प्रकार का सूक्ष्म ऋण योजना/एक्टिविटी प्लान प्रस्तुत नहीं करना होगा।
- स्वयं सहायता समूह के तीसरे एवं चतुर्थ डोज क्रेडिट लिंकेज के दौरान समूह द्वारा बैंक में

सूक्ष्म ऋण योजना/एक्टिविटी प्लान प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर बैंक समूह को ऋण उपलब्ध कराएगा।

कार्पस राशि क्या है ? – समूह के सदस्यों द्वारा की जा रही बचत, सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण से प्राप्त होने वाला ब्याज, दंड की राशि, अन्य ऐसी प्राप्तियाँ जिसे समूह द्वारा वापस करने की जिम्मेदारी नहीं होगी एवं चक्रीय निधि (रिवॉल्विंग फण्ड) की राशि कार्पस राशि होगी।

ऋण के प्रकार एवं ऋण वापसी नियोजन –

- स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण, टर्म लोन या कैश क्रेडिट लिमिट लोन के रूप में जरुरत के अनुसार ले सकती है। अगर समूह को ऋण की जरुरत पड़ती है तो बैंक से अतिरिक्त ऋण/दूसरा ऋण लिया जा सकता है, भले ही पूर्व में लिए गए ऋण की पूर्ण वापसी ना हुई हो :–
- समूह द्वारा विभिन्न डोजेज में लिए गए ऋण की वापसी नियोजन किस्त निम्न होगी–
    - प्रथम डोज ऋण वापसी : समूह द्वारा 6 से 12 किस्तों में वापस की जायेगी, जो की मासिक वापस किया जायेगा।
    - दूसरा डोज ऋण वापसी : समूह द्वारा 12 से 24 किस्तों में वापस की जायेगी, जो की मासिक वापस किया जायेगा।
    - तीसरा डोज ऋण वापसी : समूह द्वारा 2 से 5 वर्षों में की जायेगी, जो की समूह द्वारा मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर समूह के निधि प्रवाह के आधार पर की जायेगी।
    - चतुर्थ डोज ऋण वापसी : समूह द्वारा 3 से 6 में वर्षों में की जायेगी जो की समूह द्वारा मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर समूह के निधि प्रवाह के आधार पर की जायेगी।

बैंक ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेज –

- स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक से ऋण लेने हेतु समूह की बैठक में लिए गए निर्णय की प्रतिलिपि जो कि समूह के कार्यवाही पुस्तिका में लिखा हो।
- बैंक द्वारा उपलब्ध ऋण (लोन) आवेदन प्रपत्र।
- समूह के सदस्यों की बीच इंटर्स–एग्रीमेंट।
- समूह एवं बैंक के बीच होने वाला एग्रीमेंट – आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट।
- समूह के दो अधिकृत प्रतिनिधियों/पदाधिकारी का रंगीन 3–3 पासपोर्ट साइज फोटो एवं समूह की मोहर (प्रथम बार में सभी समूह सदस्यो का पासपोर्ट साइज फोटो)।
- समूह के दो प्रतिनिधियों का के.वाई.सी. नियम के अनुसार पहचान पत्र की प्रतिलिपि (चूँकि समूह के प्रतिनिधियों का के.वाई.सी. समूह के बचत खाता खोलने के दौरान बैंक में पूर्व से ही जमा किया जा चुका होगा इसलिए इस स्थित में प्रतिनिधियों के पहचान पत्र की जरुरत नहीं पड़ेगी– आर.बी.आई. सर्कुलर 1 अप्रैल 2013) प्रथम बार में सभी सदस्यो का के.वाई. सी एवं ब्यक्तिगत खाता क्रमांक ।
- बैंक/नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रेडिंग प्रपत्र ।
- प्रथम डोज एवं दूसरे डोज क्रेडिट लिंकेज के दौरान सूक्ष्म ऋण योजना की जरुरत नहीं पड़ेगी परन्तु तीसरे एवं चतुर्थ डोज क्रेडिट लिंकेज के दौरान समूह द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना भी जमा करना होगा।

बैंक ऋण हेतु स्वंय सहायता समूह की ग्रेडिंग कौन करेगा ?

स्वयं सहायता समूह कि ग्रेडिंग कि जिम्मेदारी सम्बंधित बैंक के अधिकारी/कर्मचारी की होगी। इस प्रक्रिया में मिशन के विकासखण्ड स्तर अधिकारी/कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, अगर ग्राम संगठन गठित है तो ग्राम संगठन स्तर पर गठित बैंक लिंकेज समिति के सदस्य ग्रेडिंग प्रक्रिया को सुगमीकरण हेतु बैंक शाखा के अधिकारी/कर्मचारी को सहयोग प्रदान करेंगे।

ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेंशन) –

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओ (बैंक) से कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह इंटरेस्ट सबवेंसन महिला समूह को रु. 3 लाख तक के ऋण पर 7% बार्षिक व्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन हेतु जिलों के दो कैटेगरी में बिभाजित किया गया है :–

- कैटेगरी – 1 जिला :–

  इस कैटेगरी में देश के 250 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिले क्रमशः बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बलरामपुर, सुकमा, सूरजपुर, कोण्डागांव, गरियाबंद, धमतरी, रायगढ़ एवं बलौदाबाजार शामिल है।

  कैटेगरी 1 के जिलों में गठित समूह हेतु इंटरेस्ट सबवेंशन हेतु निम्न बिंदु है –

  - इंटरेस्ट सबवेंशन हेतु सभी महिला स्वयं सहायता समूह योग्य है। इसमें एन.आर.एल.एम. कम्प्लायंट समूह का होना बाध्यता नहीं है, इसमें समूह को महिला स्वयं सहायता समूह होना चाहिए।
  - यह इंटरेस्ट सबवेंसन महिला समूह को रु. 3 लाख तक के ऋण पर 7% बार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
  - महिला समूह द्वारा समय से ऋण वापसी करने पर समूह को 4% (3% केन्द्र शासन + 1% राज्य शासन द्वारा) का अतिरिक्त इंटरेस्ट सबवेंसन दिया जायेगा अर्थात समूह को समय से ऋण वापसी पर 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
  - संबंधित जिलों में बैंक द्वारा महिला समूह को 7% ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया जायेगा अर्थात समूह को शुरुआत से ही 7% ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा।

- कैटेगरी –2 जिला :–

इसमें प्रदेश के शेष 09 जिले आते है। कैटेगरी 2 के जिलों में गठित समूह हेतु इंटरेस्ट सबवेंशन के निम्न बिंदु है –

  - सभी स्वयं सहायता समूह एन.आर.एल.एम. कम्प्लायंट समूह होने चाहिए।
  - इस कैटेगरी के जिलों में गठित एन.आर.एल.एम. कम्प्लायंट समूह को बैंक द्वारा मुख्य ब्याज दर पर ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा किन्तु यह 12.50% से अधिक नहीं होगा।
  - समूह द्वारा समय से ऋण वापसी करने पर बैंक के मुख्य ब्याज दर एवं 3% के बीच के ब्याज की राशि को इंटरेस्ट सबवेंशन (बैंकों के मुख्य ब्याजदर एवं 7% के मध्य का अंतर केन्द्र शासन एवं अतिरिक्त 4% राज्य शासन द्वारा) के रूप में समूह के खाते में जमा किया जायेगा।

बैंक ऋण (बैंक लिकेज) आवेदन का प्रारूप – (संलग्नक–4)

सत्र 9

विषय	:	आपदा निवारण कोष (व्ही.आर.एफ) ।
उद्देश्य	:	इस सत्र के अंत में प्रतिभागी आपदा निवारण कोष, पात्रता, प्रक्रिया एवं उपयोगिता के बारे में जान सकेंगें।
आवश्यक सामग्री	:	व्हाईट बोर्ड, चार्ट पेपर, मार्कर ।
पद्धति	:	भाषण, सहभागी, कहानी।
अवधि	:	3 घण्टा।

पद्धति - भाषण

परिचय

आपदा निवारण कोष ग्राम संगठन को दिये जाने वाला एक ऐसा विशेष कोष है जो कि खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। गरीब परिवारो को परेशानी के दौरान आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक ऐसी व्यवस्था जिसे ग्रामीण महिलाओं के संगठन द्वारा स्व सहयता समूहों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस प्रकार गरीब परिवार अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए साहुकारों से अधिक ब्याज पर ऋण नही लेना पड़ता व एक दुसरे की परेशानियों में समुदायिक सहयोग की भावना जागृत होती है।

आपदा निवारण कोष की आवश्यकता क्यों ?

ग्रामीण गरीब परिवार में बहुत सारे ऐसे मौके आते है, जब उन्हें भावनात्मक सहयोग के साथ–साथ आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है, जैसे कमाने वाले सदस्य की आकस्मिक मृत्यु, गंभीर बीमारी, सूखा, प्राकृतिक आपदा, अन्य आदि। यदि इस स्थिति में पीड़ित परिवार की उपयुक्त आर्थिक सहायता नही हुई, तो यह परिवार निरंतर गरीबी के दुष्चक्र में फंसता जाता है, इसलिए आपदा कोष की आवश्कता होती है।

उद्देश्य

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे हुए परिवारों को आकस्मिक बीमारी, दुर्घटना एवं अन्य आवश्यकताओं (शिक्षा, पोषण, आजीविका आदि) के लिए सरलता से राशि उपलब्ध कराना। ग्राम संगठन के निर्णय पर इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। ग्राम संगठन के निर्णय पर स्व–सहायता समूह में सम्मिलित नही हुए गरीब परिवारो को भी इस कोष से ऋण प्रदाय किया जा सकता है।

आर्थिक श्रेणीकरण की प्रकिया के दौरान चिन्हित किये गये गरीब एवं अति गरीब परिवारों को उनकी समस्याओं आपदा का सामना करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ही, इस कोष का उद्देश्य है।

ग्राम संगठन के निर्णय अनुसार इस राशि का उपयोग ग्रामीण गरीब परिवार को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर समस्याओं से या अधिक ब्याज लेने वाले कर्जदाताओं से मुक्ति दिलाने हेतु किया जा सकता है। आपदा निवारण कोष से लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर एक प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए।

आपदा निवारण कोष प्राप्त करने की प्रक्रिया

राज्य में मिशन अर्तगत आने वाले सभी सघन विकासखण्डों में गरीब परिवारों का बहुल्य है एवं कुछ परिवार पलायन पर जाती है, ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति कमजोर होती है। इन सभी विकासखंडों के ग्रामों मे ग्राम संगठनों का निर्माण किया जाना है। अतः ग्राम संगठनों के द्वारा समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप इस राशि की मांग की जायेगी। मिशन अंतर्गत इस मद में प्रति स्व–सहायता समूहों का रू 15000/– तक का प्रावधान है। जिसे स्व–सहायता समुहों को ऋण स्वरूप एवं बिना ब्याज के रूप मे प्रदान किया जायेगा। अर्थात् एक ग्राम संगठन को लगभग रू 1,20000/– से 1,80000/–तक की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकती है। जिसको बढाने के लिए ग्राम संगठन से जुडे हुए समूहों द्वारा संबंधित ग्राम संगठन को प्रतिमाह उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित अंशदान किया जाना चाहिए। यह अंशदान समूह के द्वारा उसकी आय के रूप अर्जित राशि से दिया जा सकता है। अंशदान की राशि ग्राम संगठन द्वारा समूह की क्षमता के अधार पर तय की जायेगी।

ग्राम संगठन को आपदा निवारण कोष के रूप प्राप्त होने वाली कुल राशि में से अधिकतम 75 प्रतिशत का उपयोग एक समय में ग्राम संगठन द्वारा समूहों को 06 प्रतिशत वार्षिक या 0.5 प्रतिशत मासिक ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जो कि समूह के द्वारा 3–6 माह में वापस किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत राशि ग्राम संगठन के पास सुरक्षित रहना चाहिये, ताकि अत्यंत आवश्यकता की स्थिति में सबसे अधिक जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपदा निवारण कोष प्राप्त करने हेतु मापदण्ड

1. समूह कम से कम तीन माह पुराना हो एवं ग्यारह सूत्र का पालन कर रही है।
2. समूह ने ग्राम संगठन की सदस्यता प्राप्त की होगी।
3. समूह की बैठकों में समाजिक सुरक्षा एवं विकास के मुद्दों पर चर्चा होने लगी हो।
4. समूह के बैठक मे एम.सी.पी के दौरान आपदा की कार्य योजना बना ली गई हो तथा ग्राम संगठन की जमा कर दी हो।
5. सदस्य जिसके लिए इस कोष से राशि मांगी जा रही है, उसे राशि उपलब्ध कराने के लिए समूहों के समस्त सदस्य की सहमति हो।
6. सदस्य जिसके लिए यह कोष से राशि मांगी जा रही है, उसकी समूह में सदस्यता कम से कम तीन माह पुरानी हो।
7. ग्राम संगठन की बैठक में स्व–सहायता समूह की उपस्थिति 90 प्रतिशत हो। यदि स्व–सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन से ऋण लिया गया हो तो उसका ऋण वापसी नियमित हो।

आपदा निवारण कोष की राशि प्राप्त करने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर मापदंड

1. ग्राम संगठन कम से कम 6 माह पुराना हो।
2. ग्राम संगठन का बैंक में खाता खुल गया हो।
3. ग्राम संगठन की नियमित बैठकें संचालित हो रही हो।
4. ग्राम संगठन द्वारा आपदा निवारण की कार्य योजना बनाई गई हो, जिसमें चिन्हित परिवारों की आवश्कताओं को शामिल किया गया हो।
5. जिन ग्रामों में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां निवास करती हों, उनके लिए ग्राम संगठन /स्वयं सहायता समूह द्वारा विशेष कार्य योजना बनाई जाए एवं इसे ग्राम संगठन के माध्यम से संबंधित जनपद पंचायत को भेजा गया हो।

लेखा संधारण

स्वयं सहायता समूहों की नियमित बैठकों में इस राशि का लेनदेन किया जाए एवं उसका लेखा –जोखा रखा जाये। इसी प्रकार ग्राम संगठन स्तर पर भी इसके रिकार्ड का संधारण किया जायेगा। आपदा कि स्थिति में स्व सहायता समूह एवं ग्राम संगठन के पदाधिकारी मिलकर अतिरिक्त बैठक का आयोजन कर इस राशि का उपयोग कर सकते है, परंतु लेन देन का दस्तावेजीकरण उसी बैठक के दौरान किया जाना चाहिए। ग्राम संगठन स्तर पर आवश्कतानुसार अलग से एक अन्य सहायक पुस्तिका का संधारण किया जा सकता है।

आपदा निवारण कोष प्राप्त करने हेतु परिवारों/हितग्राहियों की पात्रता

अतिगरीब एवं गरीब श्रेणी में आने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता अधिक होती है। चूंकि उक्त परिवारों में बचत करने एवं अन्य स्त्रोतों से राशि प्राप्त करने की क्षमता कम होती है। अतः इन श्रेणियों के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस श्रेणी में निम्नानुसार व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाये :–

1. विशेष रूप से पिछड़ी/विलुप्त जनजातियों के परिवार
2. विमुक्त एवं घुमक्कड जनजातियों का परिवार
3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति या परिवार
4. विशेष रूप से पिछडे हुए परिवार
5. मैला ढोने वाले परिवार
6. भूमिहीन परिवार
7. बंधुवा मजदूर
8. ऐसे परिवार जहॉ बच्चे मजदूरी पर गये हों और खो गये हों
9. एकल वृद्ध/महिला
10. ऐसे परिवार जिसमें बलिकाओं की संख्या अधिक हों
11. पलायन पर जाने वाले परिवार
12. ऐसे परिवार जहां परिवार का सदस्य लंबी बीमारी से ग्रसित है
13. अनाथ बच्चे
14. प्राकृतिक आपदा का शिकार परिवार
15. विस्थापित परिवार
16. सामाजिक रूप से अस्पृश्य व्यक्ति ।
17. ऐसे परिवार जिनमें बच्चे कुपोषण का शिकार हों

इसके अतिरिक्त स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आपदाओं से ग्रसित एवं अन्य प्रकार से पिछड़े हुये परिवारों को ग्राम संगठन तथा समुदाय की सहमति से इस राशि से लाभांवित किया जा सकता है।

(टीप :– स्वावलंबी एवं मध्यम श्रेणी के परिवारों को इस राशि से लाभांवित नही किया जायेगा।)

संलग्नक– 1
चक्रिय निधि हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत ..... (छ0ग0)

विषयः– चक्रीय निधि (Revolving Fund) जारी करने हेतु।

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि हमारे द्वारा स्वयं सहायता समूह .....का गठन दिनॉक.....को किया गया था। समूह के गठन पश्चात हमारे द्वारा पांच सूत्रो का पालन नियमित रूप से किया जा रहा है। हम यह भी निवेदन करते है कि–

1. समूह के द्वारा अपना खाता.....बैंक.....शाखा में खोला गया है। जिसका खाता क्रमांक.....है।
2. बैंक के खाते में वर्तमान रूपये.....राशि जमा है।
3. स्व–सहायता समूह के प्रबंधन विषय तथा 11 सूत्र का प्रशिक्षण हमे मिल गया है।
4. हम यह भी वचन (Undertaking) देते है कि चक्रीय निधि की राशि रू. ..... जो हमे मिलेगी , उसका उपयोग समूह द्वारा आंतरिक लेन–देन के लिये बचत राशि के सहित करेंगे।
5. हम इस बात से भी सहमत है कि समूह चक्रीय निधि (Revolving Fund) मिलने के बाद भी 11 सूत्र का पालन, अच्छा प्रबंधन तथा वित्तीय मापदण्ड का पालन करते रहेंगे।

हस्ताक्षर
सचिव का नाम
मोहर/सील

हस्ताक्षर
अध्यक्ष का नाम
मोहर/सील

कार्यालयीन उपयोग के लिये

मेरे द्वारा स्वयं सहायता समूह के दस्तावेज देखकर यह सत्यापित किया जा रहा है कि–

1. उपरोक्त समूह का गठन दिनॉक.....को किया गया था।
2. समूह द्वारा पांच सूत्रो का नियमित रूप से (पिछले 03–06 महीने या 12–36 सप्ताह) किया जा रहा है।
3. समूह को रूपये.....दियें जाने की अभिप्रस्तावना की जा रही है। उक्त राशि स्व सहायता समूह के बैंक खाता क्रमांक.....शाखा ....में प्रेषित की जा सकती है।

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय समन्वयक / सहायक विकास
विस्तार अधिकारी / सामु.सवंर्ग

हस्ताक्षर

विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक / प्रभारी अधिकारी
(मोहर / सील)

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत–.....
जिला–.....
(छत्तीसगढ़)

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत .....
(छत्तीसगढ़)

संलग्नक-2

चक्रिय निधि हेतु श्रेणीकरण प्रपत्र

स्वयं सहायता समूह ..... ग्राम संगठन का नाम .....
ग्राम का नाम ..... विकास खण्ड का नाम .....
बैंक का नाम ..... बैंक शाखा का नाम .....
खाता क्रमांक .....
(मुल्यांकन अवधि दिनांक ..... से .....तक)

क्र.	मूल्यांकन/ग्रेडिंग के सूचक	निर्धारित अंक	फार्मूला/आधार अंक दिये जाने का नियम	गणना	प्राप्तांक
1.	साप्ताहिक आयोजित बैठक	15	विगत छः महीनो से आयोजित बैठक की कुल संख्या X 15 ÷ स्व सहायता समूहो के नियमानुसार आयोजित किये जाने वाली बैठको की संख्या		
2.	साप्ताहिक बैठक में उपस्थिति	10	विगत बैठको में उपस्थित सदस्यो की औसत संख्या X 10 ÷ समूह की कुल सदस्य संख्या		
3.	साप्ताहिक बचत में नियमितता	15	विगत छः माह में बचत की गई राशि X 15 ÷ विगत छः माह में बचत हेतु निर्धारित लक्ष्य राशि		
4.	बचत से लेन देन	20	विगत छः माह में वितरित कुल ऋण X 20 ÷ विगत छ माह में ऋण प्रदाय किये जाने हेतु कुल उपलब्ध बचत राशि		
5.	ऋण की वसूली	20	विगत छः माह में वितरित कुल ऋण X 20 ÷ विगत छः माह में मांग की राशि के विरूद्व वसूली ऋण राशि वसूल की जानी थी।		
6.	पुस्तको का रख–रखाव	20	(1) सभी पुस्तके अच्छी तरह संधारित, अद्यतन एंव सही तरीके से लिखी गई है।	20 अंक	
			(2) अधिकांश पुस्तके अच्छी तरह संधारित, अद्यतन एंव सही तरीके से लिखी गई है।	15 अंक	
			(3) अधिकांश पुस्तके अच्छी तरह संधारित एंव कुछ पुस्तके अद्यतन नही है।	10 अंक	
			(4) अधिकांश पुस्तके अच्छी तरह संधारित एंव अद्यतन नहीं है।	5 अंक	
			(5) एक भी पुस्तके अच्छी तरह संधारित नही है न ही अद्यतन की गई है।	0 अंक	
योगः–		100		योगः–	

नोटः– कुल पूर्णाक में से 85 अंक या उससे अधिक अंक लाने पर प्रथम ग्रेड़िंग पात्र माना जावेगा।
ग्रेड़िंग की तिथि :– .....
ग्रेड़िग सदस्यो का विवरणः–

क0	नाम	पद	संगठन	हस्ताक्षर
1				
2				
3				

संलग्नक–3

सूक्ष्म ऋण योजना प्रारूप

प्रपत्र 1 – स्व–सहायता समूह की जानकारी

1. स्व–सहायता समूह का नाम :– .....
2. ग्राम का नाम :– .....
3. क्लस्टर का नाम :– .....
4. सदस्यों की संख्या :– .....
5. सदस्यो का विवरण :– .....

अति गरीब	गरीब	मध्यम	अमीर	कुल

6. समूह गठन दिनांक :– .....
7. बैंक शाखा का नाम :– .....
8. बैठको का क्रम :– .....
9. बैठको की संख्या (कुल) :– .....
10. सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत :– .....
11. बचत क्रम :– .....
12. सदस्यो की कुल बचत :– .....
13. समूह को प्राप्त हुई आर्थिक सहायता :– .....

क्र. सं.	संख्या	संस्था का नाम	प्राप्त हुआ कुल ऋण राशि	भुगतान किया कुल ऋण राशि	बकाया राशि	शेष ऋण राशि

14. सदस्यो से प्राप्त ब्याज :– .....
15. बैंक खाते से प्राप्त ब्याज :– .....
16. दण्ड :– .....
17. अन्य आय :– .....
18. समूह की कुल निधि :– .....
19. समूह की शेष निधि :– .....
20. लघु ऋण संख्या :– .....

लिया गया ऋण (राशि)	भुगतान किया गया ऋण (राशि)	बकाया (राशि)	शेष ऋण(राशि)

21. बडा ऋण संख्या :– .....

लिया गया ऋण (राशि)	भुगतान किया गया ऋण (राशि)	बकाया (राशि)	शेष ऋण (राशि)

22. समूह के सदस्यो को दिए गए कुल ऋणो की संख्या :– .....
23. समूह से सदस्यों द्वारा ली गई कुल ऋण राशि :– .....
24. समूह निधी बदलाव प्रतिशत :– .....
25. ऋण औसत संख्या :– .....
26. पुस्तक संचालक का नाम :– .....

प्रपत्र 2 - समूह सदस्यो के परिवार का विवरण

क्र. सं.	सदस्य का नाम	उम्र	जाति	व्यवसाय	परिवार का विवरण				मकान का विवरण/किराया पर			जमीन का विवरण			पशु संपत्ति का विवरण					परिवार का अन्य विवरण				गरीबी की स्थिति		
					बच्चे		बडे																			
					पुत्र	पुत्री	महिला	पुरुष	झोपडी	आधा कच्चा	पक्का	सिंचित	असिंचित	बंजर	गाय	बैल	भैंस	बकरी	अन्य	राशन कार्ड	विकलांग	अकेली महिला (परित्यक्ता/ विधवा/ अविवाहित)	परिवार नियोजन	अति गरीब	गरीब	मध्यम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										

प्रपत्र 3 - सदस्यों की प्राप्ति एवं भुगतान विवरण (एक वर्ष)

स्व-सहायता समूह का नाम .....
ग्राम का नाम .....
ग्राम संगठन का नाम .....

ग्राम पंचायत .....
संकुल का नाम .....

क्र	सदस्य का नाम	पिता/पति	आय									व्यय												
			कृषि	मजदूरी	व्यवसाय बिक्री	कारीगरी	पशुपालन	ऋण एवं अग्रिम	बैंक/वित्तीय	अन्य	योग	भोजन	कपड़ा	शिक्षा	स्वास्थ्य	बचत	यात्रा व्यय	कृषि निवेश	त्योहार खर्च	पशुपालन	कर्ज भुगतान	आपातकाल खर्च	कृषि	अन्य योग
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

प्रपत्र 4 - समूह सदस्यों की ऋण योजना प्रपत्र

क्र.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	समूह सदस्य का आर्थिक वर्गीकरण (अतिगरीब, गरीब व मध्यम)	सदस्य द्वारा चयनित गतिविधि	आर्थिक गतिविधि के लिए आवश्यक राशि			गतिविधि से माह में होने वाली सम्भावित आय	गतिविधि हेतु माह में होने वाले सम्भावित व्यय	माह में होने वाली सम्भावित बचत	किश्त संख्या	ऋण वापसी विवरण			रिमार्क/प्राथमिकता
					सदस्य का अंशदान	समूह से आवश्यक ऋण	कुल आवश्यक राशि					किश्त	ब्याज	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
कुल															

प्रपत्र 5 - प्रथम बार ऋण लेने वाले सदस्यों का विवरण

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	सदस्य द्वारा चयनित गतिविधि	आर्थिक गतिविधि के लिए आवश्यक राशि			गतिविधि से माह में होने वाली सम्भावित आय	गतिविधि हेतु माह में होने वाले सम्भावित व्यय	माह में होने वाली अनुमानित बचत	किश्त संख्या	ऋण वापसी विवरण		
				सदस्य का अंशदान	समूह से आवश्यक ऋण	कुल आवश्यक राशि					किश्त	ब्याज	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8 9													
10													
11													
12 13													
14													
15													
कुल													

प्रपत्र 6 - द्वितीय बार ऋण लेने वाले सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	सदस्य द्वारा चयनित गतिविधि	आजीविका गतिविधि के लिए आवश्यक राशि			गतिविधि से माह में होने वाली अनुमानित आय	गतिविधि हेतु माह में होने वाले अनुमानित व्यय	माह में होने वाली अनुमानित बचत	किश्त संख्या	ऋण वापसी विवरण			मासिक / ऋण प्राप्त करने का अनुमानित माह
				सदस्य का अंशदान	समूह से आवश्यक ऋण	कुल आवश्यक राशि					किश्त	ब्याज	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
कुल														

प्रपत्र 7 – अनुबंध

समूह एवं सदस्यों के बीच :–

1	प्राप्त ऋण का उद्देश्य के अनुसार उपयोग करूंगी	सदस्यों के हस्ताक्षर	
2	प्राप्त ऋण का आय मूलक गतिविधियों में उपयोग करूंगी		
3	15 दिनों के अंदर सामाग्री खरीदना सुनिश्चित करूंगी, नही तो समूह को पूरा पैसा वापस करूंगी		
4	क्रय की गई सामाग्री को जांच समिति को दिखाऊंगी		
5	क्रय की गई संपती का बीमा कराउंगी		
6	ऋण का भुगतान वापसी नियोजन अनुसार करूंगी		
7	समूह के सभी नियामों का पालन करूंगी		
8	खरीदी गई संपती को ऋण पूरा होने तक नहीं बेचूंगी		

समूह और ग्राम संगठन/क्लस्टर संगठन/जनपद पंचायत के मध्य अनुबंध

द्वितीय पक्षकार	प्रथम पक्षकार
समूह का नाम ..... गांव का नाम ..... जनपद का नाम ..... बैंक खाता संख्या .... बैंक एवं खाता का नाम .... अध्यक्ष का नाम	ग्राम /संकुल संगठन/जनपद पंचायत का नाम .. .. प्रतिनिधि का नाम ..... पता ....

अनुबंध की शर्ते

1. सूक्ष्म ऋण योजना में दर्शित गतिविधियों में ही राशि का उपयोग करेंगे।
2. खरीदी गई संपत्ति को जांच समिति को दिखायेंगे।
3. संपत्तियों का बीमा करावाएंगे।
4. लिए गए ऋण को वापसी नियोजन अनुसार प्रति माह वापस करेंगे।
5. ग्राम संगठन/संकुल संगठन के सभी नियमों का पालन करेंगे।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष मोहर सहित
अध्यक्ष स्व–सहायता समूह

गवाह
1. .....
2. .....
दिनांकः–.....

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष मोहर सहित
अध्यक्ष/सीईओ
ग्राम संगठन/क्लस्टर संगठन/जनपद पंचायत
दिनांक :– .....

संलग्नक–4

बैंक लिंकेज हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

संलग्नक-5
प्रशिक्षण आंकलन पत्रक (फीडबैक फार्म)

1. प्रशिक्षण पठन सामग्री मे शामिल की गई विषय वस्तु उपयोगी है ?

   अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

2. समूहो की वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की दृष्टिकोण से यह प्रशिक्षण सामग्री पर्याप्त है ?

   अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

3. प्रशिक्षण हेतु उपयोग की जा रही पद्वति आपको कैसी लगी ?

   अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

4. इस प्रशिक्षण से आपकी सूक्ष्म ऋण योजना संबंधी जानकारी पूर्ण हो गई ?

   अ. पूर्ण ☐ ब. आंशिक ☐ स. नही ☐

5. इस प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया गया समय पर्याप्त है या नही ?

   अ. पर्याप्त ☐ ब. बढाना चाहिए ☐ स. कम करना ☐

6. प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षण देने का तरीका कैसा लगा ?

   अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

7. इस प्रशिक्षण की बैठक व्यवस्था कैसी लगी ?

   अ. अच्छा ☐ ब. बहुत अच्छा ☐ स. अति उत्तम ☐

8. प्रशिक्षण पठन सामाग्री मे कुछ और विषय वस्तु को जोडना उचित होगा यदि हॉ तो नीचे विवरण दे।

   .....
   .....

9. इस प्रशिक्षण को और बेहतर तरीके से आयोजित करने हेतु आपके सुझाव।

   .....
   .....

टिप्पणीः– कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही (✓) का निशान लगावे।

प्रतिभागी का नाम एवं हस्ताक्षर